प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
स्वास्थ्य भवन उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–11फ/NHM/14/5644 लखनऊ:दिनांक 26 दिसम्बर, 2014

विषय– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिये प्रदेश में प्रसव इकाईयों पर संविदा मानव संसाधन के पदों की स्वीकृति हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में उपकेन्द्रों, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों को प्रसव सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर **L-1, L-2** एवं **L-3** स्तर की प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत सरकार के स्तर पर तय किये गये मानकों के अनुसार उन प्रसव केन्द्रों को **L-1** प्रसव इकाई के रूप में मान्यता दी गई है जहाँ औसतन तीन प्रसव प्रतिमाह से अधिक होते हैं। इसी प्रकार उन प्रसव केन्द्रों को चौबीस घण्टे प्रसव इकाई **L-2** के रूप में मान्यता दी गई है जहाँ औसतन दस प्रसव प्रतिमाह से अधिक होते हैं। जिन इकाइयों पर सीजेरियन/जटिल प्रसव होते हैं एवं रक्त भण्डारण की सुविधा है वे **L-3** स्तर (एफ0आर0यू0) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। प्रदेश में विभिन्न स्तर के नियमित स्वास्थ्य कर्मियों यथा ए0एन0एम0 स्टाफ नर्स, महिला चिकित्सकों एवं सिजेरियन प्रसव हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2014–15 में प्रसव इकाईयों पर संविदा पर मानव संसाधन की आवश्यकता के आंकलन हेतु एम0एन0एच0 टूल किट को आधार मानते हुये प्राथमिकता निर्धारित कर जनपदों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे संविदा पदों का इकाईवार आबंटन किया जा सकता है।

प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रसव इकाइयों पर संविदा पर स्टाफ नर्स, एम.बी.बी.एस. महिला चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन व निश्चेतक) की नवीन नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उनको अध्यक्ष–जिला कार्यकारी समिति से अवलोकित करा दिया जाये एवं इकाईवार पदों का आबंटन कर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही आरम्भ की जाय। जो निर्देश दिये जा रहे हैं, उन प्रतिबन्धों के अधीन ही संविदा कार्मिकों की नवीन अथवा पुनर्नियुक्ति की जाय।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी सभी पदों पर भर्ती हेतु पूर्व से कार्यरत कर्मियों को उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष समायोजन करने के पश्चात ही इकाईवार स्वीकृत नवीन पदों की संख्या की सूची प्रकाशित करें।
4. व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के पश्चात चयन किये जायें। साक्षात्कार समिति का अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों से तैनाती स्थल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विकल्प भी दर्ज करवा लिये जांय, तदपश्चात जिला स्वास्थ्य समिति से तैनाती स्थल अनुमोदित कराकर **प्रारूप–3** पर प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर नियुक्ति प्रदान की जाय।
5. जैसा कि संज्ञान में आया है कि संविदा महिला चिकित्साधिकारी एवं विशेषज्ञों के पदों के लिये अपेक्षाकृत कम अभ्यर्थी आवेदन करते हैं अतः राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इन पदों के लिये वॉक–इन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।
6. यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्मिक रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी आहरित किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी जनपद में ऐसी स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

7. कतिपय जनपदों से यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत किये गये पदों के सापेक्ष उसी वित्तीय सीमा में परिवर्तित दरों पर कार्मिक तैनात कर लिये गये। यह गैर कानूनी है, अतः यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. यह पुनः दोहराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही किया जायेगा। संविदा कर्मियों की **तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी**। संविदा कर्मियों के पदों का जनपद के अन्दर इकाईयों पर आबंटन एवं कर्मियों का इन पदों पर जनपद के अन्दर स्थानान्तरण जिला स्वास्थ्य समिति की सहमति से ही किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जनपद विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस जनपद पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त ही किसी अन्य जनपद पर नवीन तैनाती के लिये अर्ह हो सकेगा।
9. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10. संविदा कर्मी/चिकित्सक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
11. संविदा कर्मी/चिकित्सक अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
12. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा कर्मियों की तैनाती में भी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का यथा सम्भव पालन किया जायेगा।
13. विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती वर्ष 2014-15 के लिये जनपदों द्वारा प्रस्तावित 260 एफ0आर0यू0 इकाईयों (सूची संलग्न) पर ही की जा सकेगी। सभी तैनाती स्थल तथा उनके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या भी उसी सूची में एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट पर दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत भी प्रस्तुत है। इस सूची में नियमित कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर जनपद के अन्दर पदों के आबंटन में संशोधन जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से ही किया जा सकेगा।
14. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।
15. यदि पूर्व से कार्यरत किसी संविदा कर्मी का पद वित्तीय वर्ष के मध्य रिक्त हो जाता है तो उस पद पर नियमानुसार नवीन भर्ती की जा सकती है।
16. यह ध्यान रहे कि सभी अनुबन्ध अधिकतम 31 मार्च 2015 तक के लिये ही किये जायेंगे। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त होने तक राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक माह केवल सेवा का विस्तारीकरण ही किया जायेगा। वर्ष 2015-16 के लिये भारत सरकार द्वारा पदों की स्वीकृति के पश्चात ही पुनर्अनुबन्ध अथवा नवीन अनुबन्ध किये जायेंगे।

डिलीवरी प्वाइंट्स पर संविदा कर्मियों हेतु विशेष निर्देशः-

1. L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती -

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु संविदा स्टाफ नर्सों के पदों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इनकी स्वीकृति जनपदीय कार्ययोजना 2014-15 के अनुरूप आवश्यकतानुसार चिन्हित प्रसव इकाईयों पर **L-2** व **L-3** चौबीस घंटे स्टाफ नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ही प्रदान की गयी हैं। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिका (संलग्नक-1) पर प्रस्तुत है। जनपद में इन पदों का आबंटन प्रसव इकाईयों पर प्रसव भार के अनुरूप ही किया जाये। किसी भी स्थिति में इन संविदा स्टाफ नर्सों की तैनाती ऐसी इकाईयों पर न की जाये जहाँ 24 घन्टे प्रसव सेवायें प्रदान नहीं की जा रही हैं। इनकी तैनाती लेबर रूम एवं प्रसूति वार्डों में ही लगाई जाये। संलग्न तालिका में जनपद के लिये स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर भर्ती नहीं की जाय। उन स्वीकृतियों में पूर्व से कार्यरत संविदा पर भी सम्मिलित हैं।

कर्तव्य एवं दायित्व - L-2 या L-3 प्रसव इकाईयों पर संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स से किसी भी पाली में कार्य लिया जा सकता है। सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक अपने विवेकानुसार समस्त नियमित एवं संविदा कर्मियों का पूल बनाकर रोटेशन में ड्यूटी लगायें। नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन इकाईयों पर चौबीसों घंटे प्रसव एवं ओ0टी0 का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों पर तैनात संविदा स्टाफ नर्स के मुख्य कार्य प्रसव कराना, जटिल प्रसव अथवा सिजेरियन प्रसव होने पर चिकित्सकों को सहयोग देना, प्रसव कक्ष एवं ओ0टी0 का रख-रखाव, नसबन्दी व सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में सहयोग देना, नवजात व जच्चा की पूर्ण देखभाल, टीकाकरण, वॉर्ड में भर्ती ए0एन0सी0/पी0एन0सी0 मरीजों की पूरी देखभाल तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवंटित अन्य कार्य होंगे।

यह सभी पद प्रसव इकाइयों के लिये ही स्वीकृत हैं। पुरूष स्टाफ नर्सों को प्रसव इकाइयों पर तैनाती देते समय यह अवश्य जाँच लें कि उनका प्रसव अथवा0 ओ0टी0 कार्य में दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा मिडवाइफरी विषय पर भी प्रशिक्षण लिया गया हो।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स के वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 बी** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स में से जो प्रसव कार्य में कुशल हों उनको ही संविदा स्टाफ नर्स के रूप में L-2 या L-3 प्रसव इकाईयों पर पुनः तैनाती/पुनर्अनुबन्ध हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। भारत सरकार द्वारा **वर्ष 2014–15 में संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को मासिक मानदेय रू0–18,150.00 प्रतिमाह अनुमन्य किया गया है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से त्रैमासिक **प्रारूप–2 बी** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

भारत सरकार द्वारा जनपदों पर पूर्व से कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों के लिये 12 माह का मानदेय एवं नवीन पदों के सापेक्ष 04 माह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। जनपदों से प्राप्त 01 अप्रैल 2014 को पूर्व से कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों की संख्या के आधार पर ही पूर्व से कार्यरत 2042 एवं नवीन 1988 पदों की स्वीकृति तथा धनराशि प्रदान की जा रही है। पूर्व से कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों को 01 अप्रैल 2014 से पुनरीक्षित मानदेय लागू करते हुये मानकानुसार एरियर भी दिये जायेंगे।

2. L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों पर संविदा पर एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती:–

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2014–15 में प्रत्येक **L-2** व **L-3** प्रसव इकाईयों के लिए संविदा पर एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती किये जाने की व्यवस्था रखी गई है। जनपद की उन ब्लॉक स्तरीय अथवा जिला स्तरीय प्रसव इकाईयों पर संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती की जानी है जहाँ वर्ष 2013–14 की के0पी0आई0–2 में अंकित आंकड़ों के अनुसार औसतन मासिक प्रसव भार न्यूनतम 100 हो। ऐसी इकाईयों पर उपलब्ध नियमित चिकित्सकों की संख्या के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाये एवं इन स्वीकृत पदों का इकाईवार आबंटन किया जाये। पदों के आबंटन हेतु ऊपर प्रथम पृष्ठ पर दी गयी तालिका का लाभ लिया जा सकता है। संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती ब्लॉक से नीचे स्तर पर नहीं की जानी है।

कार्य एवं दायित्व– अतिक्रियाशील L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों के लिए एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की व्यवस्था रखी गई है जिससे वे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। चिकित्सालय में आउटडोर/ए0एन0सी0 क्लीनिक का संचालन, हाई रिस्क एवं गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग व उपचार, जटिल प्रसवों का उपचार, स्टाफ़ नर्सों के प्रसव कार्यों की समीक्षा, एस0बी0ए0 मानकों पर प्रसव–कक्ष का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात एवं परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना इनका दायित्व होगा। इन एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को उपर्युक्त क्षेत्रों में कुशलता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण के लिए नामित भी किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक के वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 सी** पर मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल पूर्व से कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक को ही संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक के रूप में चिन्हित प्रसव इकाईयों पर पुनर्अनुबन्ध हेतु वरीयता प्रदान की जाय। नवीन तैनाती हेतु अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाये। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। **वर्ष 2014–15 में संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक को मासिक मानदेय रू0–39600.00 प्रतिमाह अनुमन्य किया जाता है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से त्रैमासिक मूल्यांकन **प्रारूप–2 सी** पर किआ जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय। भारत सरकार द्वारा जनपदों पर पूर्व से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के लिये 12 माह का मानदेय एवं नवीन पदों के सापेक्ष 04 माह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। जनपदों से प्राप्त 01 अप्रैल 2014 को पूर्व से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की संख्या के आधार पर ही 104 पूर्व से कार्यरत एवं 332 नवीन पदों की स्वीकृति तथा धनराशि प्रदान की जा रही है। पूर्व से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी को 01 अप्रैल 2014 से पुनरीक्षित मानदेय लागू करते हुये मानकानुसार एरियर भी दिये जायेंगे।

3. L-3 प्रसव इकाईयों पर संविदा पर विशेषज्ञों की संविदा पर तैनाती–

जनपदों से उपलब्ध कराई गयी जिला कार्ययोजना के आधार पर वर्ष 2014–15 में क्रियाशील किये जाने वाली 260 एफ0आर0यू0(मेडिकल कालेजों को छोड़कर) की सूची एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है एवं संलग्न भी है। इस सूची के अनुसार प्रदेश में 84 जिला स्तरीय इकाईयाँ एवं 176 ग्रामीण व अन्य इकाईयाँ को एफ0आर0यू0 **L-3** स्तर का दर्जा दिये जाने के लिये अथक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। कई जनपद ऐसे हैं जहाँ एक भी **L-3** स्तर की इकाई क्रियाशील

नहीं है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत **L-3** स्तर की महिला/संयुक्त चिकित्सालय/सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 के महिला अनुभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती का प्राविधान किया गया है।

सभी संविदा विशेषज्ञों की तैनाती हेतु तैनाती स्थल एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिका पर प्रस्तुत है। किसी भी स्थिति में इन संविदा विशेषज्ञों की तैनाती इन चयनित 260 एफ0आर0यू0 इकाईयों के बाहर नहीं की जाये। यदि सूचीबद्ध 260 इकाईयों पर (बाल महिला चिकित्सालय) नियमित विशेषज्ञों की उपलब्धता की स्थिति में परिवर्तन हो गया हो तो जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से संविदा पदों के आबंटन में संशोधन किया जा सकता है।

प्रदेश में शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्वीकृति शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा ही दी जायेगी।

कार्य एवं दायित्व– प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए प्राविधानित स्त्री रोग विशेषज्ञ का दायित्व आउटडोर, ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं सीवियर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव, प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात एवं प्रसव पश्चात परिवार कल्याण सेवाओं के साथ चिकित्सालय प्रभारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य सम्पादित करना है।

इसी प्रकार संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि 24 घंटे जटिल सीजेरियन प्रसव प्रबन्धन हेतु उपलब्ध रहेंगे इसके अतिरिक्त रूटीन इलेक्टिव सर्जरी में भी सहयोग करेंगे।

संविदा पर कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन या एनेस्थेटिस्ट यदि नियुक्ति के पश्चात प्रथम त्रैमास में कोई भी सिजेरियन प्रसव नहीं करते हैं तो जिला स्वास्थ्य समिति तुरन्त उनकी संविदा समाप्त करने हेतु कार्यवाही आरम्भ करें।

चिकित्सालय में जटिल प्रसव व सिजेरियन प्रसव में संविदा पर कार्यरत विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का दायित्व चिकित्सालय प्रभारी का भी होगा। जनपद में स्त्री रोग विशेषज्ञ संविदा पर उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे शल्य चिकित्सक (एम0एस0 जनरल सर्जरी) को संविदा पर नियुक्त किया जा सकता है जो सीजेरियन प्रसव करने में सक्षम हों। ऐसी स्थिति में शल्य चिकित्सक को बी0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार नामित किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत स्त्री रोग/बाल रोग/निश्चेतक संविदा विशेषज्ञों के वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 डी** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् जटिल एवं सिजेरियन प्रसव सेवाओं में कुशल विशेषज्ञों को ही संविदा पर L-3 प्रसव इकाईयों पर पुनर्अनुबन्ध हेतु वरीयता प्रदान की जाय। नवीन तैनाती हेतु विशेषज्ञों के कार्य अनुभव को आधार बना वरीयता प्रदान की जाये। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। वर्ष 2014–15 में संविदा पर कार्यरत डी0जी0ओ0/एम0एस0/एम0डी0 को मासिक मानदेय रू0–65000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है। यह मानदेय इनके **तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से** दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से त्रैमासिक मूल्यांकन **प्रारूप–2 डी** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 01 अप्रैल 2014 को मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 बाल रोग विशेषज्ञ पूर्व से कार्यरत थे जिनमें से 07 बाल रोग विशेषज्ञों को ही मार्च 2015 तक के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है एवं इनका अनुबन्ध 31 मार्च 2015 तक के लिये ही किया जायेगा। इस प्रकार जनपद मुरादाबाद एवं मिर्जापुर में पूर्व से कार्यरत शेष 2 बाल रोग विशेषज्ञों को उसी जनपद में स्थापित एस0एन0सी0यू0 पर दिनांक 01 दिसम्बर 2014 से तत्काल प्रभाव से समायोजित कर दिया जाये। आगामी वर्ष से पूर्व से तैनात शेष 7 बाल रोग विशेषज्ञों का अनुबन्ध आवश्यकतानुसार उसी जनपद अथवा निकटस्थ जनपद में स्थापित एस0एन0सी0यू0 पर शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाये।

भारत सरकार द्वारा जनपदों पर पूर्व से कार्यरत 36 विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिये 12 माह का मानदेय एवं नवीन 574 पदों के सापेक्ष 04 माह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। जनपदों से प्राप्त 01 अप्रैल 2014 को पूर्व से कार्यरत संविदा विशेषज्ञों की संख्या के आधार पर ही 36 पूर्व से कार्यरत एवं 567 नवीन पदों की स्वीकृति तथा धनराशि प्रदान की जा रही है। पूर्व से कार्यरत संविदा विशेषज्ञों को 01 अप्रैल 2014 से पुनरीक्षित मानदेय लागू करते हुये मानकानुसार एरियर भी दिये जायेंगे।

4. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जिला स्तर जिला स्वास्थ्य समिति सभी संविदा तैनातियों एवं पुनर्अनुबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- किसी भी दशा में संविदा कर्मी प्रसव इकाईयों के बाहर तैनात न किये जायें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपर्युक्तानुसार सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर एन0एच0एम0, उ0प्र0 को तृतीय त्रैमास 2014–15 की के0पी0आई0–2 (प्रसव इकाईयों की सूचना के भारत सरकार के फारमेट) पर अद्यतन कर अवश्य ही उपलब्ध करा दें।
- इसके अतिरिक्त संविदा विशेषज्ञों के द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संलग्न प्रारूप (संलग्नक–3) पर प्रत्येक माह **uks1974@hotmail.com** व **arvind_singh007@rediffmail.com** पर उपलब्ध कराया जाये।
- समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
- अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।

5. वित्तीय व्यवस्था–

संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार प्रदेश में L-2 ,व L-3 स्तर की प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर तैनात किये जाने वाले संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लेक्सीपूल के मद संख्या A.8.1.3.1 से संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–A.8.1.5.2 से तथा स्टाफ नर्सो का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या– A.8.1.1.2 से किया जायेगा। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।

- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आबंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुये किया जाये।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक

पत्रांक–11फ/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक

Contractual Staff Nurses, LMOs & Specialists at Delivery Points- District allocation and Budget 2014-15

Dist no	Division	District	Approvals of Contractual Staff Nurses: Total Approved positions of contractual staff nurses	No. of Existing contracual SNs	12 mths salary of Existing contractaul SNs @Rs 18150.00/pm	New Approval	4 mths salary of vnew contractaul SNs @Rs 18150.00/pm	Total Total Approved positions of contractual LMO	Existing contractaul LMOs	12 mths salary of Existing contractaul LMOs @Rs 39600.00/pm	New contractaul LMOs	4 mths salary of new contractaul LMOs @Rs 39600.00/pm	Total Total Approved positions of contractual Gynae	Total Total Approved positions of contractual Anaesth	Existing contractaul specialists	12 mths salary of Existing contractaul specialists @Rs 65000.00/pm	New contractaul specialists (Gyn & Anaesth only)	4 mths salary of new contractaul specialists @Rs 65000.00/pm	Total Budget in lac Rs for contractual LMOs,SNs & Specialists at delivery points
FMR Code					A.8.1.1.2					A.8.1.5			A.8.1.3.1	A.8.1.3.3					
1	Agra	Agra	75	65	141.57	10	7.26	13	8	38.016	5	7.92	6	0	0	0	6	15.6	210.366
2	Agra	Firozabad	59	58	126.324	1	0.726	8	4	19.008	4	6.336	9	5	1	7.8	13	33.8	193.994
3	Agra	Mainpuri	43	41	89.298	2	1.452	1	0	0	1	1.584	5	3	1	7.8	7	18.2	118.334
4	Agra	Mathura	50	50	108.9	0	0	5	3	14.256	2	3.168	3	2	1	7.8	4	10.4	144.524
5	Aligarh	Aligarh	64	19	41.382	45	32.67	11	1	4.752	10	15.84	10	7	1	7.8	16	41.6	144.044
6	Aligarh	Etah	32	17	37.026	15	10.89	3	1	4.752	2	3.168	5	1	0	0	6	15.6	71.436
7	Aligarh	Hathras	34	16	34.848	18	13.068	6	1	4.752	5	7.92	5	1	0	0	6	15.6	76.188
8	Aligarh	Kasganj	33	12	26.136	21	15.246	5	1	4.752	4	6.336	4	2	0	0	6	15.6	68.07
9	Allahabad	Allahabad	93	42	91.476	51	37.026	14	7	33.264	7	11.088	4	2	0	0	6	15.6	188.454
10	Allahabad	Fatehpur	64	35	76.23	29	21.054	4	0	0	4	6.336	7	3	0	0	10	26	129.62
11	Allahabad	Kausambhi	65	26	56.628	39	28.314	4	1	4.752	3	4.752	5	1	1	7.8	5	13	115.246
12	Allahabad	Pratapgarh	54	29	63.162	25	18.15	8	1	4.752	7	11.088	8	5	1	7.8	12	31.2	136.152
13	Azamgarh	Azamgarh	79	62	135.036	17	12.342	9	2	9.504	7	11.088	8	5	0	0	13	33.8	201.77
14	Azamgarh	Ballia	52	43	93.654	9	6.534	5	0	0	5	7.92	10	4	0	0	14	36.4	144.508
15	Azamgarh	Mau	37	34	74.052	3	2.178	3	2	9.504	1	1.584	2	1	0	0	3	7.8	95.118
16	Bareilly	Bareilly	63	32	69.696	31	22.506	4	2	9.504	2	3.168	7	4	2	15.6	9	23.4	143.874
17	Bareilly	Budaun	97	33	71.874	64	46.464	8	2	9.504	6	9.504	4	3	2	15.6	5	13	165.946
18	Bareilly	Pilibhit	58	8	17.424	50	36.3	5	1	4.752	4	6.336	3	2	0	0	5	13	77.812
19	Bareilly	Shahjahanpur	69	37	80.586	32	23.232	4	0	0	4	6.336	6	2	0	0	8	20.8	130.954
20	Basti	Basti	50	36	78.408	14	10.164	4	0	0	4	6.336	5	2	3	23.4	4	10.4	128.708
21	Basti	Siddharth Nagar	40	17	37.026	23	16.698	4	0	0	4	6.336	3	2	0	0	5	13	73.06
22	Basti	SK Nagar	50	30	65.34	20	14.52	5	0	0	5	7.92	6	2	0	0	8	20.8	108.58
23	Chitrakoot	Banda	44	19	41.382	25	18.15	4	0	0	4	6.336	6	3	0	0	9	23.4	89.268
24	Chitrakoot	Chitrakoot	45	20	43.56	25	18.15	6	0	0	6	9.504	1	0	0	0	1	2.6	73.814
25	Chitrakoot	Hamirpur	42	9	19.602	33	23.958	2	0	0	2	3.168	5	2	0	0	7	18.2	64.928
26	Chitrakoot	Mahoba	29	12	26.136	17	12.342	2	1	4.752	1	1.584	2	2	0	0	4	10.4	55.214
27	Faizabad	Ambedkar Nagar	48	9	19.602	39	28.314	4	1	4.752	3	4.752	4	2	0	0	6	15.6	73.02
28	Faizabad	Amethi	48	27	58.806	21	15.246	5	0	0	5	7.92	4	1	0	0	5	13	94.972
29	Faizabad	Barabanki	50	18	39.204	32	23.232	9	0	0	9	14.256	6	4	0	0	10	26	102.692
30	Faizabad	Faizabad	79	27	58.806	52	37.752	2	0	0	2	3.168	6	3	1	7.8	8	20.8	128.326
31	Faizabad	Sultanpur	59	5	10.89	54	39.204	7	2	9.504	5	7.92	7	3	0	0	10	26	93.518
32	Gonda	Bahraich	105	30	65.34	75	54.45	9	0	0	9	14.256	9	2	1	7.8	10	26	167.846
33	Gonda	Balrampur	70	17	37.026	53	38.478	8	0	0	8	12.672	6	1	0	0	7	18.2	106.376
34	Gonda	Gonda	73	10	21.78	63	45.738	9	0	0	9	14.256	6	2	0	0	8	20.8	102.574
35	Gonda	Shrawasti	46	12	26.136	34	24.684	5	1	4.752	4	6.336	7	5	3	23.4	9	23.4	108.708
36	Gorakhpur	Deoria	68	13	28.314	55	39.93	5	1	4.752	4	6.336	6	3	0	0	9	23.4	102.732
37	Gorakhpur	Gorakhpur	78	71	154.638	7	5.082	11	11	52.272	0	0	10	3	0	0	13	33.8	245.792
38	Gorakhpur	Kushinagar	29	29	63.162	0	0	7	2	9.504	5	7.92	2	0	0	0	2	5.2	85.786
39	Gorakhpur	Maharajganj	58	21	45.738	37	26.862	5	2	9.504	3	4.752	8	2	0	0	10	26	112.856
40	Jhansi	Jalaun	60	40	87.12	20	14.52	5	1	4.752	4	6.336	5	1	0	0	6	15.6	128.328
41	Jhansi	Jhansi	77	13	28.314	64	46.464	7	0	0	7	11.088	3	3	1	7.8	5	13	106.666
42	Jhansi	Lalitpur	50	26	56.628	24	17.424	5	0	0	5	7.92	9	5	0	0	14	36.4	118.372
43	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	61	61	132.858	0	0	7	5	23.76	2	3.168	11	8	2	15.6	17	44.2	219.586
44	Kanpur Nagar	Auraiya	22	13	28.314	9	6.534	7	0	0	7	11.088	3	1	0	0	4	10.4	56.336
45	Kanpur Nagar	Etawah	35	7	15.246	28	20.328	6	1	4.752	5	7.92	7	3	5	39	5	13	100.246
46	Kanpur Nagar	Farrukhabad	32	11	23.958	21	15.246	4	1	4.752	3	4.752	5	5	0	0	10	26	74.708
47	Kanpur Nagar	Kannauj	32	15	32.67	17	12.342	4	0	0	4	6.336	4	2	0	0	6	15.6	66.948

48	Kanpur Nagar	Kanpur Dehat	33	12	26.136	21	15.246	6	1	4.752	5	7.92	5	2	0	0	7	18.2	72.254
49	Lucknow	Hardoi	95	39	84.942	56	40.656	10	3	14.256	7	11.088	6	3	1	7.8	8	20.8	179.542
50	Lucknow	Lakhimpur Kheri	125	20	43.56	105	76.23	10	0	0	10	15.84	7	3	0	0	10	26	161.63
51	Lucknow	Lucknow	79	10	21.78	69	50.094	18	6	28.512	12	19.008	13	13	4	31.2	22	57.2	207.794
52	Lucknow	Raibareilly	56	21	45.738	35	25.41	9	4	19.008	5	7.92	8	6	0	0	14	36.4	134.476
53	Lucknow*	Sitapur	119	32	69.696	87	63.162	11	1	4.752	10	15.84	8	4	0	0	12	31.2	184.65
54	Lucknow	Unnao	59	29	63.162	30	21.78	8	2	9.504	6	9.504	8	4	0	0	12	31.2	135.15
55	Merrut	Baghpat	24	14	30.492	10	7.26	2	0	0	2	3.168	5	4	0	0	9	23.4	64.32
56	Merrut	Bulandshair	81	81	176.418	0	0	9	1	4.752	8	12.672	4	2	0	0	6	15.6	209.442
57	Merrut	GB Nagar	18	15	32.67	3	2.178	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5.2	40.048
58	Merrut	Ghaziabad	29	29	63.162	0	0	3	1	4.752	2	3.168	1	1	1	7.8	1	2.6	81.482
59	Merrut	Hapur	27	27	58.806	0	0	2	1	4.752	1	1.584	1	1	0	0	2	5.2	70.342
60	Merrut	Meerut	38	37	80.586	1	0.726	6	2	9.504	4	6.336	4	3	0	0	7	18.2	115.352
61	Mirzapur	Bhadohi	27	3	6.534	24	17.424	3	0	0	3	4.752	3	0	0	0	3	7.8	36.51
62	Mirzapur	Mirzapur	59	21	45.738	38	27.588	8	3	14.256	5	7.92	6	0	0	0	6	15.6	111.102
63	Mirzapur	Sonbhadra	26	13	28.314	13	9.438	1	0	0	1	1.584	4	1	1	7.8	4	10.4	57.536
64	Moradabad	Amroha	36	36	78.408	0	0	6	2	9.504	4	6.336	5	2	0	0	7	18.2	112.448
65	Moradabad	Bijnor	65	40	87.12	25	18.15	5	3	14.256	2	3.168	3	3	0	0	6	15.6	138.294
66	Moradabad	Moradabad	36	22	47.916	14	10.164	4	0	0	4	6.336	5	2	2	15.6	5	13	93.016
67	Moradabad	Rampur	29	12	26.136	17	12.342	3	2	9.504	1	1.584	5	3	0	0	8	20.8	70.366
68	Moradabad	Sambhal	39	0	0	39	28.314	5	0	0	5	7.92	5	4	0	0	9	23.4	59.634
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	37	26	56.628	11	7.986	2	1	4.752	1	1.584	4	2	0	0	6	15.6	86.55
70	Saharanpur	Saharanpur	52	25	54.45	27	19.602	7	1	4.752	6	9.504	9	2	0	0	11	28.6	116.908
71	Saharanpur	Shamli	16	16	34.848	0	0	3	1	4.752	2	3.168	3	1	0	0	4	10.4	53.168
72	Varanasi	Chandauli	48	48	104.544	0	0	3	0	0	3	4.752	4	2	1	7.8	5	13	130.096
73	Varanasi	Ghazipur	45	25	54.45	20	14.52	5	0	0	5	7.92	3	3	0	0	6	15.6	92.49
74	Varanasi	Jaunpur	88	72	156.816	16	11.616	7	1	4.752	6	9.504	7	3	0	0	10	26	208.688
75	Varanasi	Varanasi	43	40	87.12	3	2.178	2	2	9.504	0	0	4	2	0	0	6	15.6	114.402
Total			4030	2042	4447.476	1988	1443.288	436	104	494.208	332	525.888	407	203	36	280.80	574	1492.400	8684.06

SNs	6156.48	5890.764
LMO	1073.95	1020.096
Specialists	1773.2	1773.200
		8684.06

प्रारूप–2 बी

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (SN)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....
NAME: ....
DATE OF JOINING : ....
LOCATION: ....
DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:...
ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD:...

Sl. No.	Activities	Poor	Satisfactory	good
1	No. of total deliveries conducted			
2	No. of night deliveries conducted			
3	Assistance in Caesarean Section Operation (if applicable)			
4	No. of Episiotomies given			
5	SBA Training received			
6	Assistance in Sterilisation Operation			
7	Assistance to Safe abortion services.			
8	Care of sick newborn admitted			
9	Immunisation (if applicable)			
	Total assessment points			

Assessment	Points
Poor	0
Satisfactory	1
Good	2

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा इकाई

प्रारूप–2 सी

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (LMO)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....
NAME: ....
DATE OF JOINING : ....
LOCATION: ....
DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:...
ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD...

Sl. No.	Activities	Poor	Satisfactory	good
1	No. of OPD cases attended			
2	No. of ANC/PNC cases handled at the facility			
3	No. of Emergency cases attended against the total no. of cases			
4	No. of labour cases handled at the facility			
5	No of IUDs inserted family planning			
6	No. of infant/neonatal cases attended			
7	No. of Sub-Centre Clinics visited			
8	No. of block meetings/staff meetings attended.			
9	No. of Village Health & Nutrition Days attended			
	Total assessment points			

Assessment	Points
Poor	0
Satisfactory	1
Good	2

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा इकाई

प्रारूप–2 डी

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (Specialists)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....

NAME: ....

DATE OF JOINING : ....

LOCATION: ....

DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:...

ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD...

Gynaecologist		
Sl. No.	**Activities**	**No. Achieved**
1.	No of OPD Patients seen	
2.	No of Normal Deliveries conducted	
3.	No of Complicated Deliveries conducted	
4.	No of Caesarean Section Operations performed	
5.	No of MTP/Safe Abortions done	
6.	No. of Sterilization Operations	
7.	No. of IUD Inserted	
Paediatrician		
Sl. No.	**Activities**	**No. Achieved**
1.	No of Children attended in OPD	
2.	No of Children admitted in indoor	
3.	No of newborns resuscitated in labour room/OT	
4.	No. of sick newborns treated	
Anaesthetists		
Sl. No.	**Activities**	**No. Achieved**
1.	No. of General Anesthesia given to LSCS cases	
2.	No. of Spinal Anesthesia given to LSCS cases	
3.	No. of Local/Short term Anesthesia given	
4.	No of Serious patients resuscitated	

Performance Grade- Poor/ Satisfactory/ Good

Recommendation for renewal..............................Yes/No

हस्ताक्षर

प्रभारी चिकित्सा इकाई

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद.................................. एवं (नाम)..निवासी.. .... जिसकी तैनाती .... के पद पर संविदा के आधार पर की जानी है, के मध्य अनुबन्ध।

यह अनुबन्ध "प्रथम पक्ष" के रूप में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद**............................., एवं "द्वितीय पक्ष" के रूप में (नाम)..निवासी... ....पता.. जिसकी तैनाती .... के पद पर संविदा के आधार पर की जानी है,, के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है, जहाँ **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद**...................................... (नाम)..निवासी... ....पता.. को .... के पद पर नियमित नहीं वरन् संविदा पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान करते हैं और (नाम)...निवासी... **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद**...............................द्वारा निर्दिष्ट किए गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन सहमति प्रदान करते/करती हैं–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया परियोजना के उद्देश्य के अधीन संविदा पर की जा रही है।
2. यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा नियत अवधि तक के लिए वित्त पोषित है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति दिनांक...................................से ....की अवधि तक के लिए की गयी है।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का डी0ए0, एच0आर0ए0 आदि अनुमन्य नहीं होगा ।
5. यह कि द्वितीय पक्ष भली–भांति जानता/जानती है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है। यह अनुबन्ध प्रारूप–3 में वर्णित अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त समझा जायगा और इसके लिए राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना, भुगतान अथवा सेवा छंटनी प्रतिपूर्ति धनराशि आदि देय नहीं होगी।
6. यह कि निम्नलिखित परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष की सेवाएं अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किसी भी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं–
   - 6.1. उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाना।
   - 6.2. भारत सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को वित्त पोषण बन्द होना।
   - 6.3. भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन।
   - 6.4. द्वितीय पक्ष का समय की पाबन्दी न रखना, कार्य कुशलता की कमी, अनुशासनहीनता/ किसी भ्रष्ट आचरण/अपराध में लिप्त पाया जाना।
7. यह कि द्वितीय पक्ष यह भली–भांति जानता है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है अतः उस पद पर स्थायीकरण का कोई विधिक अधिकार नहीं होगा। भविष्य में यदि उसके द्वारा धारित पद की रिक्तियां विज्ञापित होती हैं तो वह उस पद पर राजकीय सेवा में नियमित नियुक्ति का किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी। यदि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के पूर्व पद छोड़ना चाहेगा तो वह एक माह की नोटिस अथवा मानदेय देकर पद छोड़ सकता/सकती है। अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व

किसी भी स्थिति में यदि सेवाएं समाप्त होती हैं तो अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए उसे कोई मानदेय/प्रतिपूर्ति धनराशि देय नहीं होगी।

8. यह कि द्वितीय पक्ष सोसाइटी द्वारा संचालित की जा रही परियोजना सम्बन्धी गोपनीय सूचनाओं अथवा कार्यक्रमों के विषय में किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना अथवा जानकारी नहीं देगा/देगी।
9. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति उसके द्वारा दिए गए अभिलेखों जैसे– शैक्षिक योग्यता आदि व अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की गयी है जो उसने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं। यदि उसके द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायगी और वह किसी सूचना, मानदेय अथवा नोटिस का हकदार नहीं होगा/होगी।
10. यह कि द्वितीय पक्ष राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियमों/दिशा–निर्देशों अथवा कार्यालय आदेशों के अधीन कार्य करेगा/करेगी जो कि उसकी नियुक्ति एवं अनुबन्ध सम्बन्धी नियम व शर्तों का भाग होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष की राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन सेवाओं की निरन्तरता उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी।
12. यह कि द्वितीय पक्ष की दैनिक कार्यावधि सामान्यतः प्रत्येक माह के सभी कार्यदिवसों के लिए होगी। यह कार्यावधि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकेगी।
13. यह कि द्वितीय पक्ष साप्ताहिक अवकाशों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित जन अवकाशों का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। उसे एक वर्ष की अनुबन्ध अवधि में 14 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होंगे। उसे अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। उसे उपर्युक्त अवकाश अनुबन्ध अवधि के अनुपात में अनुमन्य किए जाएंगे।
14. महिला संविदा कर्मियों को मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या–307/एमडी कैम्प/डैप–एच.आर./2014–15/2294–2 दिनांक 19.08.2014 के अनुसार मातृत्व अवकाश भी देय होगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद**............... ...., के निर्देशों के अनुरूप संतोषजनक कार्य करेगा/करेगी।
16. यह कि द्वितीय पक्ष (नाम)..निवासी.. ....को मानदेय के रूप में रू0...........................प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायगा तथा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का डी0ए0, एच0आर0ए0 आदि अनुमन्य नहीं होगा।
17. यह कि द्वितीय पक्ष राज्य स्वास्थ्य समिति के विरूद्ध किसी प्रकार का अभियोजन योजित नहीं करेगा/करेगी।
18. यह कि द्वितीय पक्ष वर्तमान पद पर नियुक्ति समाप्त होने के पश्चात भी राज्य स्वास्थ्य समिति को विधिक एवं ऑडिट सम्बन्धी मामलों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करता रहेगा/रहेगी।
19. यह कि सेवा अवधि के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों एवं अग्रिमों को वापस करना द्वितीय पक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
20. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव में प्रतिभाग करने का अधिकारी नहीं होगा/होगी।
21. यह कि द्वितीय पक्ष की राज्य/जनपद द्वारा आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण तैनाती (Rational Deployment) के अन्तर्गत जनपद के अन्दर कही भी तैनाती की जा सकती है। संविदा कर्मी अनुबन्ध के पश्चात किसी अन्य जनपद में नियुक्ति के लिये तभी अर्ह हो सकेगा जब वह वर्तमान जनपद में धारित पद से त्यागपत्र दे दे।

उपर्युक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य होने की स्थिति में कृपया संलग्न कार्यालय प्रति पर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कर दें एवं हस्ताक्षरित प्रति को कार्यालय के उपयोगार्थ जमा कर दें।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ताक्षर.................................

द्वितीय पक्ष
अनुबन्धित कार्मिक

नाम.................................

पता.................................

....

मो0नं0.................................

हस्ताक्षर.................................

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद.................................

दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1.................................

नाम.................................

पता.................................

....

मो0नं0.................................

2.................................

नाम.................................

पता.................................

....

मो0नं0.................................

सेवा में,
वित्त प्रकोष्ठ
राज्य स्वास्थ्य समिति

शपथ – पत्र

मैं शपथकर्ता श्री/कु0/श्रीमती.. उम्र............................
पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी...
....शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध आज तक किसी भी पुलिस थाने में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य पंजीकृत नहीं हुआ है तथा किसी न्यायालय में भी कोई आपराधिक कृत्य/ वाद/प्रकरण पंजीकृत /प्रचलित नहीं है और ना ही विचाराधीन है।

दिनांक..........................

शपथकर्ता

....

सत्यापन

मैं शपथकर्ता यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण पूर्णतया सत्य है। इसमें कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है।

दिनांक..........................

शपथकर्ता

....

Proposed 260 FRUs for Operationalization in FY 2014-15
(Excluding Medical Colleges)

S/N	District	Facility Name	Type of Facility	Av. Monthly Delivery	C-section Cummulative (2013-14)	Current level (2013-2014)	Expected level (2014-15)
1	Agra	Lady Layal DWH Agra	DWH	639	1160	L3	L3
2	Agra	BAH	FRU CHC	196	7	L3	L3
3	Agra	KHERAGARH	FRU CHC	110	5	L3	L3
4	Agra	Kirawali	FRU CHC	101	0	L2	L3
5	Agra	Awalkherha	FRU CHC	43	0	L2	L3
6	Firozabad	DWH firozabad	DWH	650	35	L3	L3
7	Firozabad	DJH Shikohabad	DCH	343	0	L3	L3
8	Firozabad	CHC Tundla	FRU CHC	297	3	L3	L3
9	Firozabad	Jasrana	FRU CHC	143	1	L3	L3
10	Mainpuri	DWH Mainpuri	DWH	369	7	L3	L3
11	Mainpuri	CHC Kurawali	FRU CHC	147	0	L3	L3
12	Mathura	DWH Mathura	DWH	343	190	L3	L3
13	Mathura	Dist Comb Hosp (Vrindavan)	DCH	43	76	L3	L3
14	Mathura	Farah	FRU CHC	112	19	L3	L3
15	Mathura	Mantt	FRU CHC	65	0	L2	L3
16	Aligarh	DWH aligarh	DWH	747	151	L3	L3
17	Aligarh	DCH Aligarh	DCH	50	38	L3	L3
18	Aligarh	FRU ATRAULI	FRU CHC	288	1	L3	L3
19	Aligarh	FRU KHAIR	FRU CHC	191	1	L3	L3
20	Aligarh	Akrabad	FRU CHC	207	0	L2	L3
21	Etah	DWH Etah	DWH	222	0	L3	L3
22	Etah	Jalesar	FRU CHC	200	0	L2	L3
23	Hathras	DWH Hathras	DWH	402	71	L3	L3
24	Hathras	Sadabad	FRU CHC	264	2	L3	L3
25	Hathras	Sikandara rao	FRU CHC	182	0	L2	L3
26	Kasganj	Birla women Hospital	DWH	211	0	L2	L3
27	Kasganj	Kasganj	FRU CHC	68	0	L3	L3
28	Allahabad	DWH Allahabad	DWH	450	1487	L3	L3
29	Allahabad	CHC Karchhana	FRU CHC	195	1	L3	L3
30	Allahabad	CHC Handia	FRU CHC	230	15	L3	L3
31	Allahabad	CHC Phulpur	FRU CHC	96	0	L2	L3
32	Allahabad	CHC SORAON	FRU CHC	94	0	L2	L3
33	Fatehpur	District Hospital (Female)	DWH	380	91	L3	L3
34	Fatehpur	Khaga	FRU CHC	221	19	L3	L3
35	Fatehpur	Bindki	FRU CHC	132	2	L3	L3
36	Fatehpur	Hathgam	FRU CHC	173	0	L2	L3
37	Kaushambi	DCH Kaushambi	DCH	236	41	L3	L3
38	Kaushambi	Sarai Akil	FRU CHC	184	11	L3	L3
39	Kaushambi	Sirathu	FRU CHC	188	0	L2	L3
40	Pratapgarh	DWH Pratapgarh	DWH	657	1186	L3	L3
41	Pratapgarh	Patti	FRU CHC	244	9	L3	L3
42	Pratapgarh	Lalganj	FRU CHC	250	8	L3	L3
43	Pratapgarh	Kunda	FRU CHC	235	9	L3	L3
44	Azamgarh	DWH Azamgarh	DWH	472	770	L3	L3
45	Azamgarh	Lalganj	FRU CHC	231	7	L3	L3
46	Azamgarh	Phoolpur	FRU CHC	102	1	L3	L3
47	Azamgarh	Bilariyaganj	FRU CHC	130	1	L3	L3
48	Azamgarh	Mubarakpur	FRU CHC	112	0	L2	L3
49	Balia	DWH Balia	DWH	568	304	L3	L3
50	Balia	Sikanderpur	FRU CHC	288	0	L3	L3
51	Balia	Rasra	FRU CHC	145	5	L3	L3
52	Balia	Siya	FRU CHC	219	0	L2	L3
53	Mau	Ghosi	FRU CHC	146	50	L3	L3

Proposed 260 FRUs for Operationalization in FY 2014-15

(Excluding Medical Colleges)

S/N	District	Facility Name	Type of Facility	Av. Monthly Delivery	C-section Cummulative (2013-14)	Current level (2013-2014)	Expected level (2014-15)
54	Mau	Mohamdabad	FRU CHC	66	0	L2	L3
55	Bareilly	DWH Bareilly	DWH	552	1468	L3	L3
56	Bareilly	FAREEDPUR	FRU CHC	208	5	L3	L3
57	Bareilly	BAHERI	FRU CHC	274	0	L2	L3
58	Budaun	DWH Bundau	DWH	354	210	L3	L3
59	Budaun	Ujhani	FRU CHC	173	5	L3	L3
60	Budaun	Bisouli	FRU CHC	269	0	L2	L3
61	Pilibhit	DWH Pilibhit	DWH	209	365	L3	L3
62	Pilibhit	Bisalpur	FRU CHC	181	0	L2	L3
63	Shahjhanpur	DWH Shajhanpur	DWH	550	232	L3	L3
64	Shahjhanpur	CHC Tilhar	FRU CHC	225	0	L3	L3
65	Shahjhanpur	Puwaya	FRU CHC	100	0	L2	L3
66	Basti	DWH Basti	DWH	863	1530	L3	L3
67	Basti	Harriya	FRU CHC	124	0	L2	L3
68	Basti	Rudhauli	FRU CHC	144	0	L2	L3
69	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	FRU CHC	209	219	L3	L3
70	Sant Kabir Nagar	Khallilabad DCH	DCH	191	0	L3	L3
71	Sant Kabir Nagar	Mehdawal CHC	FRU CHC	219	0	L3	L3
72	Sant Kabir Nagar	Haisar Bazar	FRU CHC	137	27	L3	L3
73	Siddharth Nagar	CHC Uska Bazar	FRU CHC	116	11	L3	L3
74	Siddharth Nagar	DCH Naugarh	DCH	92	285	L3	L3
75	Siddharth Nagar	CHC Mithwal	FRU CHC	229	0	L2	L3
76	Banda	DWH Banda	DWH	485	0	L3	L3
77	Banda	Naraini	FRU CHC	268	0	L2	L3
78	Chitrakoot	DCH Chitrakoot	DCH	265	4	L3	L3
79	Hamirpur	DWH Hamirpur	DWH	249	136	L3	L3
80	Hamirpur	Rath	FRU CHC	344	0	L3	L3
81	Mahoba	DWH Mahoba	DWH	346	171	L3	L3
82	Mahoba	CHC Panwari	FRU CHC	77	0	L3	L3
83	Ambedkar nagar	DCH Ambedkar Nagar	DCH	137	378	L3	L3
84	Ambedkar nagar	Jalalpur	FRU CHC	66	0	L3	L3
85	Ambedkar nagar	Tanda	FRU CHC	116	13	L3	L3
86	Ambedkar nagar	Baskhari	FRU CHC	112	0	L2	L3
87	AMETHI	JAGDISHPUR	FRU CHC	205	7	L3	L3
88	AMETHI	AMETHI	FRU CHC	80	0	L2	L3
89	AMETHI	GAURIGANJ	FRU CHC	121	0	L2	L3
90	Barabanki	Ramsanehighat	FRU CHC	225	62	L3	L3
91	Barabanki	Fatehpur	FRU CHC	205	0	L3	L3
92	Barabanki	Haidergarh	FRU CHC	152	24	L3	L3
93	Barabanki	DWH Barabanki	DWH	590	2501	L3	L3
94	Barabanki	Dewa	FRU CHC	163	32	L3	L3
95	Faizabad	DWH Faizabad	DWH	446	1180	L3	L3
96	Faizabad	CHC Bikapur	FRU CHC	71	1	L3	L3
97	Faizabad	CHC Sohawal	FRU CHC	86	10	L3	L3
98	Faizabad	CHC Rudauli	FRU CHC	215	9	L3	L3
99	Faizabad	CHC- POORABAZAR	FRU CHC	87	2	L3	L3
100	Sultanpur	DWH Sultanpur	DWH	833	1671	L3	L3
101	Sultanpur	Kadipur	FRU CHC	168	0	L3	L3
102	Sultanpur	Dostpur	FRU CHC	110	0	L2	L3
103	Bahraich	DWH Bahraich	DWH	750	1169	L3	L3
104	Bahraich	Kaisarganj	FRU CHC	301	1	L3	L3
105	Bahraich	Nanpara	FRU CHC	145	0	L2	L3
106	BALRAMPUR	DWH Balrampur	DWH	255	550	L3	L3
107	BALRAMPUR	Tulsipur	FRU CHC	259	0	L3	L3
108	BALRAMPUR	DCH Balrampur	DCH	123	0	L2	L3

Proposed 260 FRUs for Operationalization in FY 2014-15

(Excluding Medical Colleges)

S/N	District	Facility Name	Type of Facility	Av. Monthly Delivery	C-section Cummulative (2013-14)	Current level (2013-2014)	Expected level (2014-15)
109	Gonda	Colonelganj	FRU CHC	250	0	L3	L3
110	Gonda	DWH Gonda	DWH	910	1452	L3	L3
111	Shrawasti	DCH Srawasti	DCH	220	0	L2	L3
112	Shrawasti	Ikauna	FRU CHC	422	0	L3	L3
113	Shrawasti	Sirsiya	FRU CHC	331	0	L2	L3
114	Deoria	DWH Deoria	DWH	710	1092	L3	L3
115	Deoria	SALEMPUR	FRU CHC	325	0	L3	L3
116	Deoria	RUDRAPUR	FRU CHC	126	0	L2	L3
117	Gorakhpur	Pipraich	FRU CHC	174	6	L3	L3
118	Gorakhpur	Sahjanwa	FRU CHC	232	93	L3	L3
119	Gorakhpur	DWH Gorakhpur	DWH	548	288	L3	L3
120	Gorakhpur	Campierganj	FRU CHC	276	0	L2	L3
121	Kushinagar	Kasia	FRU CHC	74	0	L3	L3
122	Kushinagar	DCH-Kushinagar	DCH	175	0	L3	L3
123	Jalaun	DWH Jalaun	DWH	510	57	L3	L3
124	Jalaun	Kalpi	FRU CHC	110	0	L2	L3
125	Jhansi	DWH Jhansi	DWH	368	126	L3	L3
126	Jhansi	Babina	FRU CHC	112	6	L3	L3
127	Jhansi	Mauranipur	FRU CHC	448	0	L2	L3
128	Lalitpur	DWH Lalitpur	DWH	654	389	L3	L3
129	Lalitpur	Talbehat	FRU CHC	317	7	L3	L3
130	Lalitpur	MEHRONI	FRU CHC	210	0	L2	L3
131	Auraiya	DCH Auriya	DCH	252	0	L2	L3
132	Etawa	DWH Etawa	DWH	451	131	L3	L3
133	Etawa	Jaswant Nagar	FRU CHC	271	1	L3	L3
134	Etawa	Bharthana	FRU CHC	246	0	L2	L3
135	Farrukhabad	DWH Farrukhabad	DWH	424	172	L3	L3
136	Farrukhabad	KAYAMGANJ	FRU CHC	350	38	L3	L3
137	Farrukhabad	Kamalganj	FRU CHC	216	0	L2	L3
138	Kannauj	DCH Kannuj	DCH	159	0	L3	L3
139	Kannauj	CHIBBRAMAU	FRU CHC	284	0	L2	L3
140	Kanpur dehat	DCH Kanpur Dehat	DCH	564	71	L3	L3
141	Kanpur dehat	NON BLOCK CHC PUKHRAYA	FRU CHC	285	9	L3	L3
142	Kanpur dehat	CHC RASOOLABAD	FRU CHC	250	0	L2	L3
143	Kanpur nagar	DWH Kanpur nagar	DWH	600	2651	L3	L3
144	Kanpur nagar	KASHIRAM HOSPITAL	DCH	189	356	L3	L3
145	Kanpur nagar	ESI HOSPITAL	DCH	21	12	L3	L3
146	Kanpur nagar	Sarsaul	FRU CHC	190	42	L3	L3
147	Kanpur nagar	BHIDNOO	FRU CHC	147	20	L3	L3
148	Kanpur nagar	Ghatampur	FRU CHC	282	20	L3	L3
149	Kanpur nagar	Kalyanpur	FRU CHC	105	0	L3	L3
150	Kanpur nagar	CHAUBEYPUR	FRU CHC	145	4	L3	L3
151	Kanpur nagar	BHILAUR	FRU CHC	277	0	L2	L3
152	Kanpur nagar	BHITEERGAON	FRU CHC	126	0	L2	L3
153	Hardoi	DWH Hardoi	DWH	1126	776	L3	L3
154	Hardoi	Sandila	FRU CHC	139	15	L3	L3
155	Hardoi	Pihani	FRU CHC	363	0	L2	L3
156	Lakheempur kheri	DWH kheri	DWH	900	420	L3	L3
157	Lakheempur kheri	Gola	FRU CHC	260	1	L3	L3
158	Lakheempur kheri	Paliya	FRU CHC	100	0	L3	L3
159	Lucknow	Veerangna Awantibai Mahila Chikitsalya	DWH	469	1539	L3	L3
160	Lucknow	Veerangna Jhalkaribai Mahila Hos 235	DWH	318	1684	L3	L3
161	Lucknow	RML Hospital,Gomtinagar,L3	DCH	519	1980	L3	L3

Proposed 260 FRUs for Operationalization in FY 2014-15

(Excluding Medical Colleges)

S/N	District	Facility Name	Type of Facility	Av. Monthly Delivery	C-section Cummulative (2013-14)	Current level (2013-2014)	Expected level (2014-15)
162	Lucknow	Rani Laxmi Bai Combned Hospital	DCH	115	335	L3	L3
163	Lucknow	LBRN Hospital	DCH	160	765	L3	L3
164	Lucknow	BRD Hospital, MahanagarL3	DCH	31	26	L3	L3
165	Lucknow	BMC Chandernagar	BMC	36	61	L3	Urban L3
166	Lucknow	BMC N.K.Road	BMC	21	82	L3	Urban L3
167	Lucknow	BMC Indiranagar	BMC	59	80	L3	Urban L3
168	Lucknow	BMC Silverjublie	BMC	61	80	L3	Urban L3
169	Lucknow	BMC Aliganj	BMC	78	289	L3	Urban L3
170	Lucknow	BMC Redcross	BMC	12	49	L3	Urban L3
171	Lucknow	BMC Tudiaganj	BMC	36	51	L3	Urban L3
172	Lucknow	BMC Aishbagh	BMC	37	98	L3	Urban L3
173	Lucknow	Mall	FRU CHC	185	10	L3	L3
174	Lucknow	MALIHABAD	FRU CHC	184	56	L3	L3
175	Lucknow	Kakori	FRU CHC	177	9	L3	L3
176	Lucknow	Mohanlalganj	FRU CHC	125	27	L3	L3
177	Lucknow	GOSAIGANJ	FRU CHC	221	31	L3	L3
178	Lucknow	CHINHAT	FRU CHC	33	22	L3	L3
179	Lucknow	SAROJNINAGAR	FRU CHC	100	20	L3	L3
180	Lucknow	BAKSHI KA TALAB	FRU CHC	77	37	L3	L3
181	Lucknow	ITAUNJA	FRU CHC	184	23	L3	L3
182	Mahrajganj	DCH Maharajganj	DCH	272	98	L3	L3
183	Mahrajganj	Partawal	FRU CHC	236	4	L3	L3
184	Mahrajganj	Nichlaul	FRU CHC	186	0	L2	L3
185	Raibareilly	DWH Raibareilly	DWH	680	1057	L3	L3
186	Raibareilly	LALGANJ	FRU CHC	212	8	L3	L3
187	Raibareilly	BACHHRAWAN	FRU CHC	193	0	L2	L3
188	Raibareilly	Unchahar	FRU CHC	317	0	L2	L3
189	Sitapur	DWH Sitapur	DWH	1034	625	L3	L3
190	Sitapur	Sidhauli FRU	FRU CHC	331	3	L3	L3
191	Sitapur	Laharpur	FRU CHC	354	0	L2	L3
192	Unnao	DWH Unnao	DWH	578	433	L3	L3
193	Unnao	Nawabganj	FRU CHC	232	0	L3	L3
194	Unnao	Hasanganj	FRU CHC	155	0	L3	L3
195	Unnao	Safipur	FRU CHC	325	0	L2	L3
196	Baghpat	DCH Baghpat	DCH	27	15	L3	L3
197	Baghpat	Baghpat	FRU CHC	158	1	L3	L3
198	Baghpat	Baraut	FRU CHC	373	0	L3	L3
199	Baghpat	Binauli	FRU CHC	60	0	L2	L3
200	Bulandsahar	K.M.C	DCH	615	311	L3	L3
201	Bulandsahar	Sikandrbad	SDH/FRU	122	6	L3	L3
202	Bulandsahar	Khurja	SDH/FRU	349	12	L3	L3
203	G B Nagar	DCH GB Nagar	DCH	436	176	L3	L3
204	G B Nagar	Dadri	FRU CHC	48	0	L3	L3
205	G B Nagar	Badalpur	FRU CHC	74	0	L3	L3
206	G B Nagar	Bhangel	FRU CHC	60	0	L3	L3
207	Ghaziabad	DCH-Sanjay Nagar	DCH	75	333	L3	L3
208	Ghaziabad	DWH Ghaziabad	DWH	423	565	L3	L3
209	Ghaziabad	Muradnagar	FRU CHC	85	4	L3	L3
210	Hapur	HAPUR	FRU CHC	188	3	L3	L3
211	Hapur	GARH	FRU CHC	75	0	L3	L3
212	Meerut	DWH Meerut	DWH	252	1395	L3	L3
213	Meerut	SARDHANA(FRU)	FRU CHC	208	7	L3	L3
214	Meerut	MAWANA	FRU CHC	179	42	L3	L3
215	Meerut	Daurala(FRU)	FRU CHC	116	12	L3	L3
216	Bhadohi	Maharaja chet singh	DCH	75	6	L3	L3

Proposed 260 FRUs for Operationalization in FY 2014-15

(Excluding Medical Colleges)

S/N	District	Facility Name	Type of Facility	Av. Monthly Delivery	C-section Cummulative (2013-14)	Current level (2013-2014)	Expected level (2014-15)
217	Bhadohi	MBS (FRU) BHADOHI	SDH/FRU	194	31	L3	L3
218	Bhadohi	Deegh	FRU CHC	101	0	L2	L3
219	Mirzapur	DWH Mirzapur	DWH	887	1714	L3	L3
220	Mirzapur	Chacheri Mor Chunar	FRU CHC	92	8	L3	L3
221	Mirzapur	Kachhwan	FRU CHC	106	0	L2	L3
222	Sonebhadra	DCH Lodhi	DCH	110	19	L3	L3
223	Sonebhadra	Chopan	FRU CHC	94	0	L3	L3
224	Sonebhadra	Myorpur	FRU CHC	38	0	L3	L3
225	Amroha	DCH Amroha	DCH	25	23	L3	L3
226	Amroha	Amroha	FRU CHC	180	0	L2	L3
227	Amroha	Gajrola	FRU CHC	160	0	L2	L3
228	Bijnaur	DWH, Bijnor	DWH	328	1095	L3	L3
229	Bijnaur	Women Hospital , Najibabad	PPC	150	7	L3	L3
230	Bijnaur	CHC Dhampur	FRU CHC	27	0	L2	L3
231	Moradabad	DWH Moradabad	DWH	520	2388	L3	L3
232	Moradabad	Thakurduara	FRU CHC	136	5	L3	L3
233	Moradabad	Bilari	FRU CHC	287	0	L2	L3
234	Rampur	DWH Rampur	DWH	331	703	L3	L3
235	Rampur	Milak	FRU CHC	290	0	L2	L3
236	Sambhal	Sambhal	FRU CHC	432	1	L3	L3
237	Sambhal	Bahjoi	FRU CHC	352	0	L2	L3
238	Muzaffarnagar	DWH Muzaffarnagar	DWH	803	2639	L3	L3
239	Muzaffarnagar	Jansath	FRU CHC	197	0	L2	L3
240	Muzaffarnagar	Khatauli	FRU CHC	102	0	L2	L3
241	Saharanpur	DWH sahranpur	DWH	900	2811	L3	L3
242	Saharanpur	Deoband	FRU CHC	170	212	L3	L3
243	Saharanpur	Fatehpur	FRU CHC	143	0	L3	L3
244	Saharanpur	Gangoh	FRU CHC	219	0	L2	L3
245	Shamli	Shamli	FRU CHC	291	0	L3	L3
246	Chandauli	Sakaldiha	SDH/FRU	64	1	L3	L3
247	Chandauli	Women Hospatal Mugalsarai	DWH	182	89	L3	L3
248	Chandauli	DCHChakiya	DCH	96	11	L3	L3
249	Chandauli	PT.K.P.TRIPATHI DISTRICT	DCH	30	3	L3	L3
250	Ghazipur	DWH Ghazipur	DWH	353	630	L3	L3
251	Ghazipur	Saidpur	FRU CHC	130	0	L3	L3
252	Ghazipur	Mohammadabad	FRU CHC	219	0	L2	L3
253	Jaunpur	DWH JAUNPUR	DWH	510	636	L3	L3
254	Jaunpur	Badlapur	FRU CHC	315	144	L3	L3
255	Jaunpur	Kerakat	FRU CHC	150	19	L3	L3
256	Jaunpur	Shahganj	FRU CHC	99	0	L3	L3
257	Varanasi	DWH Varanasi	DWH	350	1847	L3	L3
258	Varanasi	Cholapur	FRU CHC	113	18	L3	L3
259	Varanasi	Arajiline	FRU CHC	146	16	L3	L3
260	Varanasi	Lal Bhadur Shasti Hospital Ramnagar	DCH	111	NA	L3	L3

4. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जिला स्तर जिला स्वास्थ्य समिति सभी संविदा तैनातियों एवं पुनर्अनुबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- किसी भी दशा में संविदा कर्मी प्रसव इकाईयों के बाहर तैनात न किये जायें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपर्युक्तानुसार सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर एन0एच0एम0, उ0प्र0 को तृतीय त्रैमास 2014–15 की के0पी0आई0–2 (प्रसव इकाईयों की सूचना के भारत सरकार के फारमेट) पर अद्यतन कर अवश्य ही उपलब्ध करा दें।
- इसके अतिरिक्त संविदा विशेषज्ञों के द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संलग्न प्रारूप (संलग्नक–3) पर प्रत्येक माह **uks1974@hotmail.com** व **arvind_singh007@rediffmail.com** पर उपलब्ध कराया जाये।
- समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
- अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।

5. वित्तीय व्यवस्था–

संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार प्रदेश में **L-2** ,व **L-3** स्तर की प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर तैनात किये जाने वाले संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या A.8.1.3.1 से संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–A.8.1.5.2 से तथा स्टाफ नर्सों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या– A.8.1.1.2 से किया जायेगा। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।

- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, मह.लेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आबंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुये किया जाये।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक

पत्रांक–11फ/ NHM/lu/ 5645-55 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक